न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल,म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ निगरानी — R-311-PBR/09

१। नारायणी बेवा तुला किरार
२। गायत्री पुत्री तुला किरार
३। वती पुत्री तुला किरार
४। विमला पुत्री तुला किरार
५। पुष्पा पुत्री तुला किरार
६। धनवंती पुत्री तुला किरार
७। शशि पुत्री तुला किरार
सभी निवासीगण ग्राम चकराना
तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी
म०प्र० -- प्रार्थीगण

विरूद्ध

रामचरण पुत्र श्री गनेशा किरार,
निवासी ग्राम चकराना, तहसील
पोहरी, जिला शिवपुरी,म०प्र०
-- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरूद्ध अपर कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी दिनांक २६-१२-०८ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० ८३/०५-०६ निगरानी ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपर कलेक्टरमहोदय को आज्ञा संशोधन योग्य है ।

(२) यहकि प्रकरण को प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य न था ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–311–पीबीआर–2009 जिला–शिवपुरी

नारायणी आदि विरूद्ध रामचरण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 83/2005–06/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–12–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	